



भारत सरकार / Government of India

# सरकारी राजपत्र OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन  
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND  
DAMAN AND DIU

श्रेणी - २  
SERIES - II

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUTHORITY

Daman 19<sup>th</sup> April, 2024 30 Chaitra, 1946 (Saka) No. : 13

UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu  
Social Welfare Department  
District Court Premises, Fort Area, Moti Daman - 396220

No. SW/DMN/RPWD/Special Court/2023-24/660

Date: 14/03/2024

- Read:** 1) The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 issued by the Ministry of Law and Justice (Legislative Department), New Delhi dated 28/12/2016.
- 2) Notification F. No. U-11030/1/2017-UTL dated 12/12/2017 issued by the Ministry of Home Affairs, New Delhi regarding powers conferred to Administrators of all the Union Territories under the RPwD Act. 2016.

## NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the Hon'ble Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to appoint the following advocates as the Special Public Prosecutor under Section 85 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 for the UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

Sr. No.	District	Name of Advocate appointed as Special Public Prosecutor
1	Dadra & Nagar Haveli	Shri Gordhan Purohit
2	Daman & Diu	Shri Hariom Upadhyay

This is issued with the approval of the Hon'ble Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu vide diary no. 1165752 dated 12/03/2024.

By order and in the name of the  
Administrator of Dadra & Nagar Haveli and  
Daman & Diu

Sd/-  
Director-cum-Deputy Secretary  
SW/WCD, DNH & DD

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,  
समाज कल्याण विभाग, जिला कोर्ट परिसर,  
फोर्ट एरिया, मोटी दमण -396220

सं. स.क./डीडीडी/डीबीटी-यो./2023-24/660

दिनांक :- 14/03/2024

1. विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 28/12/2016 का दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016.
2. सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी दिनांक 12/12/2017 का अधिसूचना एफ.सं. यू-11030/1/2017-यूटीएल.

अधिसूचना

दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 85 के तहत निम्नलिखित अधिवक्ताओं को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	जिला	विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त अधिवक्ता का नाम
1	दादरा एवं नगर हवेली	श्री गोर्धन पुरोहित
2	दमण एवं दीव	श्री हरिओम उपाध्याय

इसे डायरी सं .1165752, दिनांक 120/3202/4 के अनुसार माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अनुमोदन के आधार पर जारी किया जाता है ।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा  
दमण एवं दीव के आदेश एवं नाम से

ह/-

(निदेशक सह उप सचिव)

समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास

\*\*\*